(1) R.M.M. Law College
Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject Family Law

हिन्दू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act 1955)

हिन्दू विवाह अधिनियम के धारा 5 के अन्तर्गत
निम्न शर्तें या विवाह किया जा सकता है) वैध विवाह के
लिए पाँच शर्तें अधिनियमित की गयी है।

(1) विवाह की तिथि लड़का या लड़की (दोनो पक्षकार)
जीवित हों।

(2) अवस्था — विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम
1976 के अनुसार कोई पक्षकार या [illegible]
विकृति से न हो [illegible] विधि मान्य
[illegible] के योग्य हो। शादी के उपरान्त
~~सहमति~~ [illegible] के योग्य हो।
सन्तान उत्पन्न करने के योग्य नहीं पड़ता हो।
पागलपन अथवा मिर्गी के दौरे

आयु — विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष
और लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी
चाहिए।

पति के जीवित
रहते विवाहित लड़का ~~[illegible]~~ दूसरी शादी नहीं कर सकता है
वह कानूनी अपराध माना जायेगा।
अगर पति सात वर्षों से लापता है ना प्रमाण जीवित
पति को न्यायालय से दूसरी शादी कर सकता है परन्तु
[illegible] तब दूसरी शादी [illegible] आती है या आपत्ति नहीं

विवाह संबंध से जब तक विवाह है पक्षकारों का बना रहता है तब तक है कि वे दूसरे को एक साथी होना हुआ होता साहचर्य है किन्तु परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें पक्षकार को ऐसा करना कठिन होजाता होती अवस्था में विधि द्वारा दोनों पक्षकारों को पृथक होजाने की व्यवस्था कीगयीहै पृथक होजाने पर वह पक्षकार पक्षकार को साहचर्य देने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। चूँकि पृथक्करण की प्रक्रिया न्यायालय द्वारा होती है इसलिये इसे न्यायिक पृथक्करण कहते हैं। और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण के उन विभिन्न आधारों का उपबन्ध किया गया है। न्यायालय परिस्थितिवश पृथक्करण की आज्ञप्ति पारित कर सकता है।